

फर्द अहकाम
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

शेरसिंह

बनाम

अमरसिंह

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 104 सन-2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम का ताकिल
 में जारी हुए

वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन . अपूर्ण्य क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 117/114 की कुल 6.8530हैक् भूमि सायल / गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है मे से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2022 को पेश हो।


 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 नोहर

30/6/22
 वकील सायल के निवेदन पर प्रार्थनापत्र दर्ज की गयी है कि जमा सायल एवं सायल के अधिपत व निवेदन किया कि वह अपना प्रार्थनापत्र राजीनामा करने के कारण नहीं चलाया चाहता कारणों के कारण वकील के द्वारा अपना प्रार्थनापत्र नहीं चलाया कि कारण वकील किता जाया है पत्रावली करिबन दोपहर है

30/6/22

